

समाहरणालय नवादा
जिला भू-अर्जन कार्यालय, नवादा।

अधिसूचना

भू-अर्जन

बिम्बंक.....

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम- साहपुर, थाना बारिसलीगंज, थाना नं०- 512 परगना- जिला- नवादा के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राज्य उच्च पथ संख्या-83 (बागी-बरबीघा) के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम साहपुर, थाना नं०- 512 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.15280 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:- 1378, 1378, 3142 एवं 2990 अंश खेसरा

रकवा:- 0.15280 एकड़.

जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

उत्तर:- 3142, Road, Road, 1411, Road & 1411

दक्षिण:- 3140, 3141, 2992, Road, 2991 & Road

पूरब:- 3143, 3144, Road, 1413, 3270 & Road

पश्चिम:- Road, Road, 2990, 1415, 2989 & 1414

यह अधिसूचना भू-अर्जन अधिनियम 1 of 1894 की धारा 4 के उपबन्धों यथा संशोधित अधिनियम 1961 के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

अपर समाहर्ता नवादा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा और उसके कर्मचारियों तथा इन परियोजनाओं के आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भूमि पर जाने एवं उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 (क) की उपधारा (2) में यथा उपबन्धित या बिनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि अथवा इसकी प्रति तामिल होने के 30 दिनों के भीतर (साधारण प्रक्रिया में धारा 5 (A) एवं आपात प्रक्रिया में धारा 9 के अन्तर्गत हित सम्बद्ध रैयतो द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन समाहर्ता नवादा। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में दाखिल की गयी भू-अर्जन संबंधी आपतियों की सुनवाई किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी
नवादा।


अपर समाहर्ता
नवादा

समाहर्ता
नवादा

सरकार के अपर सचिव

ज्ञा० सं०-15/डी०एल०ए० नवादा (रा०उ०प०)-08/12-२३५२/रा०, पटना-15, दिनांक-२५/०९/२०१३

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को (तीन प्रतियों में) सी०डी० के साथ दो समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं उसकी प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, नवादा को नवादा जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।